कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

-:: विविध आदेश ::-

क्रमांक- क्यू0/2020 टीकमगढ़, दिनांक 25 अप्रैल, 2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के परिपत्र क्रमांक-क्यू.-09 दिनांक 24.04.20 द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में अतिआवश्यक स्वरूप के प्रकरणों की सुनवाई किये जाने के संबंध में दिये गए निर्देशों के पालन में, पूर्व में जारी आदेश एवं परिपत्रों के अतिरिक्त निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण लॉकडाउन अवधि में केवल अतिआवश्यक स्वरूप के प्रकरणों की सुनवाई मात्र वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय/कार्यालयीन परिपत्र अनुसार जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

2. अधिवक्तागण अत्यावश्यक स्वरूप के प्रकरण की सुनवाई के समय वीडियो एप के माध्यम से अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से तर्क करेंगे, इस हेतु सिस्टम ऑफीसर/सिस्टम असिस्टेंट, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा द्वारा अधिवक्ता को वी.सी. के लिए लिंक भेजी जायेगी। यदि किसी अधिवक्ता के पास वी.सी. के लिए मोबाईल सुविधा उपलब्ध न हो, उस दशा में न्यायालय के सिस्टम ऑफीसर द्वारा पूर्व से न्यायालय में पृथक से स्थापित वी.सी. रूम में केवल एक ही अधिवक्ता को सेनेटाईजर करने के उपरांत ही प्रवेश दिया जाकर वी.सी. के माध्यम से तर्क प्रस्तुत कराये जायेंगे।

3. न्यायालय कक्ष में केवल न्यायिक अधिकारी एवं उनका उपलब्ध एवं सीमित स्टाफ ही हाथों को सेनेटाईज करने के बाद मास्क लगाकर उपस्थित रहेगा, जो सोशल डिस्टेंसी का पालन करते हुए कार्य करेंगे। अन्य किसी अधिवक्ता या पक्षकार का न्यायालय कक्ष में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

4. अपरिहार्य दशा में, न्यायालय की अनुमति से उपस्थित अधिवक्ता या पक्षकार को एक बार में एक ही व्यक्ति के साथ सोशल डिस्टेंसी का पालन करते हुए, न्यायालय में प्रवेश दिया जायेगा।

5. वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से सुनवाई के समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव करते हुए, सुनवाई की जायेगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा
3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा
5. सिस्टम ऑफीसर/सिस्टम असिस्टेंट टीकमगढ़

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)
25.04.20